एलआईसी की
बीमा श्री
सेल्स ब्रोशर

एलआईसी की बीमा श्री
(यूआईएन: 512N316V03)
(एक सहभागी, असंबद्ध, जीवन, व्यक्तिगत बचत योजना)

एलआईसी की बीमा श्री योजना सुरक्षा के साथ बचत का संयोजन प्रदान करती है। यह योजना विशेष रूप से उच्च आय वर्ग के व्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। इस योजना में पॉलिसी अवधि के दौरान पॉलिसीधारक की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होने की स्थिति में परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पॉलिसीधारक के जीवित रहने पर पॉलिसी अवधि के दौरान निर्दिष्ट अवधि में आवधिक भुगतान भी किया जाएगा और परिपक्वता के समय जीवित रहने वाले पॉलिसीधारक को एकमुश्त भुगतान भी किया जाएगा। यह योजना लाइसेंस प्राप्त अभिकर्ताओं, कॉर्पोरेट अभिकर्ताओं, दलालों और बीमा विपणन फर्मों के माध्यम से ऑफ़लाइन खरीदी जा सकती है।

मुख्य विशेषताएँ:

- सुरक्षा भी, बचत भी।
- सीमित प्रीमियम भुगतान
- लचीलापन
  - सुविधा अनुसार प्रीमियम भुगतान की आवृत्ति का चयन
  - आवश्यक सुरक्षा अवधि – 14, 16, 18, 20, 24 और 28 वर्ष का चयन
  - किस्तों में हितलाभ के भुगतान का विकल्प।
- पॉलिसी अवधि के दौरान निर्दिष्ट अवधि में उत्तरजीविता हितलाभ।
- राइडर हितलाभों हेतु अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करने पर राइडर हितलाभों का चयन कर बीमा सुरक्षा बढ़ाने का विकल्प।
- आकर्षक उच्च बीमा राशि छूट का लाभ।
- ऋण सुविधा के माध्यम से तरलता संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति।

1. पात्रता की शर्तें तथा अन्य प्रतिबंध:

ए)	पॉलिसी अवधि	: 14, 16, 18, 20, 24 और 28 वर्ष
बी)	प्रीमियम भुगतान अवधि	: (पॉलिसी अवधि – 4) वर्ष
सी)	प्रवेश के समय न्यूनतम आयु	: 8 वर्ष (पूर्ण)
डी)	प्रवेश के समय अधिकतम आयु	: 55 वर्ष (नज़दीकी जन्मदिन) पॉलिसी अवधि 14 वर्ष के लिए 53 वर्ष (नज़दीकी जन्मदिन) पॉलिसी अवधि 16 वर्ष के लिए 51 वर्ष (नज़दीकी जन्मदिन) पॉलिसी अवधि 18 वर्ष के लिए

		49 वर्ष (नज़दीकी जन्मदिन) पॉलिसी अवधि 20 वर्ष के लिए
		45 वर्ष (नज़दीकी जन्मदिन) पॉलिसी अवधि 24 वर्ष के लिए
		41 वर्ष (नज़दीकी जन्मदिन) पॉलिसी अवधि 28 वर्ष के लिए
इ)	परिपक्वता के समय अधिकतम आयु	: 69 वर्ष (नज़दीकी जन्मदिन)
एफ)	न्यूनतम मूल बीमा राशि	: रु. 10,00,000
जी)	अधिकतम मूल बीमा राशि	: कोई सीमा नहीं

(मूल बीमा राशि 50,000/– रुपए के गुणकों में होगी)

प्लान के अंतर्गत निहित होने की तिथि:

जोखिम की स्वीकृति की तिथि से जोखिम तुरंत आरंभ हो जाएगा।

प्लान के अंतर्गत जोखिम के प्रारंभ होने की तिथि:

अगर पॉलिसी किसी अवयस्क के जीवन पर जारी की गई है तो उसके 18 वर्ष की उम्र पूरे करने के साथ मेल खाने वाली या तुरंत उसके बाद के पॉलिसी वर्षगांठ पर पॉलिसी अपने आप बीमित जीवन पर निहित हो जाएगी और उसे निगम तथा बीमित व्यक्ति के बीच अनुबंध माना जाएगा।

2. चालू पॉलिसी के अंतर्गत देय हितलाभ (जहाँ सभी देय प्रीमियमों का भुगतान किया गया हो) :

ए. मृत्यु हितलाभ :

पहले पाँच वर्षों के दौरान मृत्यु होने पर : **"मृत्यु पर बीमा राशि"** के रूप में परिभाषित मृत्यु हितलाभ और उपार्जित गारंटीड अभिवृद्धि देय होगी।

पाँच पॉलिसी वर्ष पूरे होने के बाद लेकिन परिपक्वता की तिथि से पहले मृत्यु होने पर : **"मृत्यु पर बीमा राशि"** के रूप में परिभाषित मृत्यु हितलाभ और उपार्जित गारंटीड अभिवृद्धि और निष्ठा अभिवृद्धि, यदि कोई हो, देय होगी।

जहां **"मृत्यु पर बीमा राशि"** को मूल बीमा राशि के 125% या वार्षिक प्रीमियम के 7 गुना में से जो भी अधिक हो, उसके रूप में परिभाषित किया गया है।

यह मृत्यु हितलाभ, मृत्यु की तिथि तक भुगतान की गई कुल प्रीमियम के 105% से कम नहीं होगा।

जहां,

i. "वार्षिक प्रीमियम" पॉलिसीधारक द्वारा चुनी गई एक वर्ष में देय प्रीमियम राशि होगी, जिसमें कर, राइडर प्रीमियम, जोखिमांकन अतिरिक्त प्रीमियम और मोडल प्रीमियम के लिए लोडिंग, यदि कोई हो, शामिल नहीं हैं।

ii. "भुगतान की गई कुल प्रीमियम" का अर्थ है किसी भी अतिरिक्त प्रीमियम, राइडर प्रीमियम और करों को छोड़कर प्राप्त सभी प्रीमियमों

का कुल योग। यदि एलआईसी के प्रीमियम छूट हितलाभ राइडर का विकल्प चुना जाता है, तो प्रस्तावक की मृत्यु होने की स्थिति में, माफ की जाने वाली कोई भी अनुवर्ती प्रीमियम प्राप्त की गई और भुगतान की गई कुल प्रीमियम में सम्मिलित मानी जाएगी।

बी. उत्तरजीविता हितलाभ :

पॉलिसी अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति के प्रत्येक निर्दिष्ट अवधि तक जीवित रहने पर, बशर्ते कि सभी देय प्रीमियमों का भुगतान किया गया हो, मूल बीमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत देय होगा। विभिन्न पॉलिसी अवधियों के लिए यह निश्चित प्रतिशत निम्नानुसार है :

पॉलिसी अवधि	मूल बीमा राशि (बीएसए) का प्रतिशत
14 वर्ष	10वीं और 12वीं पॉलिसी वर्षगाँठ पर मूल बीमा राशि का 30%
16 वर्ष	12वीं और 14वीं पॉलिसी वर्षगाँठ पर मूल बीमा राशि का 35%
18 वर्ष	14वीं और 16वीं पॉलिसी वर्षगाँठ पर मूल बीमा राशि का 40%
20 वर्ष	16वीं और 18वीं पॉलिसी वर्षगाँठ पर मूल बीमा राशि का 45%
24 वर्ष	20वीं और 22वीं पॉलिसी वर्षगाँठ पर मूल बीमा राशि का 45%
28 वर्ष	24वीं और 26वीं पॉलिसी वर्षगाँठ पर मूल बीमा राशि का 45%

सी. परिपक्वता हितलाभ :

पॉलिसी अवधि के अंत तक बीमित व्यक्ति के जीवित रहने पर, बशर्ते कि सभी देय प्रीमियमों का भुगतान किया गया हो, **"परिपक्वता पर बीमा राशि"** के साथ-साथ अर्जित गारंटीड अभिवृद्धि और निष्ठा अभिवृद्धि, यदि कोई हो, देय होगी।

जहाँ **"परिपक्वता पर बीमा राशि"** निम्नानुसार होगी :

14 वर्ष की पॉलिसी अवधि के लिए मूल बीमा राशि का 40%

16 वर्ष की पॉलिसी अवधि के लिए मूल बीमा राशि का 30%

18 वर्ष की पॉलिसी अवधि के लिए मूल बीमा राशि का 20%

20, 24 और 28 वर्ष की पॉलिसी अवधि के लिए मूल बीमा राशि का 10%

3. लाभों में भागीदारी :

बशर्ते कि पॉलिसी ने पांच पॉलिसी वर्ष पूरे कर लिए हों और कम से कम 5 पूर्ण वर्षों की प्रीमियम का भुगतान किया गया हो, इस योजना के अंतर्गत पॉलिसियाँ निगम के अनुभव के आधार पर पॉलिसी अवधि के दौरान मृत्यु या परिपक्वता के रूप में निर्गमित होने के समय, ऐसी दर

और ऐसी शर्तों पर निष्ठा अभिवृद्धि (लॉयल्टी एडीशन्स) के लिए पात्र होंगी, जैसी कि निगम द्वारा घोषित की जा सकती हैं।

इसके अलावा, यदि कोई निष्ठा अभिवृद्धि (लॉयल्टी एडीशन्स) है तो उसे भी पॉलिसी अवधि के दौरान पॉलिसी अभ्यर्पण करने पर विशेष अभ्यर्पण मूल्य की गणना में शामिल किया जाएगा, बशर्ते पॉलिसी ने पांच पॉलिसी वर्ष पूरे कर लिए हों और कम से कम 5 पूर्ण वर्षों की प्रीमियम का भुगतान किया गया हो। पॉलिसी अभ्यर्पण करने की स्थिति में, निष्ठा अभिवृद्धि (लॉयल्टी एडीशन्स) उन पूर्ण पॉलिसी वर्षों के अनुरूप होगी, जिसके लिए पॉलिसी लागू थी।

बीमांकिक जांच से प्राप्त अधिशेष राशि में से पॉलिसीधारकों को वास्तविक आवंटन, एलआईसी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत इस संबंध में प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

4. गारंटीड अभिवृद्धियाँ :

गारंटीड अभिवृद्धियाँ प्रीमियम भुगतान अवधि (पीपीटी) के दौरान प्रत्येक पॉलिसी वर्ष के अंत में उपार्जित होंगी, बशर्ते कि तब तक की सभी देय प्रीमियमों का भुगतान किया गया हो। गारंटीड अभिवृद्धियों की दर निम्नानुसार होगी :

- पहले पाँच वर्षों के लिए रु. 50 प्रति हजार मूल बीमा राशि
- छठे पॉलिसी वर्ष से लेकर प्रीमियम भुगतान अवधि के अंत तक रु. 55 प्रति हजार मूल बीमा राशि

चुकता पॉलिसी के मामले में या पॉलिसी के अभ्यर्पण पर, जिस पॉलिसी वर्ष में अंतिम प्रीमियम प्राप्त हुई है, उस वर्ष के लिए गारंटीकृत अभिवृद्धि, उस वर्ष के लिए प्राप्त प्रीमियम के अनुपात में आनुपातिक आधार पर जोड़ी जाएगी।

5. उपलब्ध विकल्प :

I. राइडर हितलाभ:

इस प्लान के अंतर्गत अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर निम्नांकित चार वैकल्पिक राइडर्स (या इनके संशोधित स्वरूप) उपलब्ध हैं। हालाँकि, पॉलिसीधारक द्वारा एलआईसी के दुर्घटनात्मक मृत्यु एवं दिव्यांगता हितलाभ राइडर या एलआईसी के दुर्घटना हितलाभ राइडर में से किसी एक को तथा/या नीचे दिए गए विवरण के अनुसार, पात्रता के अधीन बाकी दो राइडर्स को चुना जा सकता है।

ए) एलआईसी का दुर्घटनात्मक से मृत्यु एवं दिव्यांगता हितलाभ राइडर (UIN: 512B209V02)

इस राइडर को प्रभावी पॉलिसी के लिए मूल प्लान की प्रीमियम भुगतान अवधि में किसी भी समय लिया जा सकता है, बशर्तें मूल प्लान की शेष प्रीमियम भुगतान अवधि कम से कम 5 वर्ष हो इस राइडर के अंतर्गत

हितलाभ बीमासुरक्षा पॉलिसी अवधि के दौरान उपलब्ध रहेगी। अगर इस राइडर को दुर्घटना के कारण मृत्यु की स्थिति के लिए चुना जाता है, तो एक्सिडेन्ट बेनिफिट राइडर बीमा राशि एकमुश्त रूप से देय होगी। दुर्घटना के कारण (दुर्घटना की तिथि से 180 दिनों के अंदर) अशक्तता पैदा होने पर दुर्घटना लाभ बीमा राशि के समान राशि का भुगतान 10 वर्षों की अवधि में समान मासिक किस्तों में किया जाएगा तथा दुर्घटना लाभ बीमा राशि के लिए भविष्य के प्रीमियमों तथा मूल पॉलिसी के अंतर्गत मूल बीमा राशि, जो कि दुर्घटना लाभ बीमा राशि के समान है, के अंश हेतु प्रीमियमों को माफ कर दिया जाएगा। अवयस्कों के जीवन पर पॉलिसी के अंतर्गत, यह राइडर 18 वर्ष की उम्र पूरी होने पर पॉलिसी वर्षगांठ से, इस विषय में विशेष अनुरोध प्राप्त होने पर उपलब्ध होगा।

बी) एलआईसी का दुर्घटना हितलाभ राइडर (UIN:512B203V03)

इस राइडर को प्रभावी पॉलिसी के लिए मूल प्लान की प्रीमियम भुगतान अवधि में किसी भी समय लिया जा सकता है, बशर्ते मूल प्लान तथा राइडर की शेष प्रीमियम भुगतान अवधि कम से कम 5 वर्ष हो। इस राइडर के अंतर्गत हितलाभ संरक्षण पॉलिसी अवधि के दौरान उपलब्ध होगा। अगर इस राइडर को दुर्घटना के कारण मृत्यु की स्थिति के लिए चुना जाता है, तो दुर्घटना लाभ राइडर बीमा राशि एकमुश्त रूप में देय होगी। अवयस्कों के जीवन पर पॉलिसी के अंतर्गत, यह राइडर 18 वर्ष की उम्र पूरी होने पर पॉलिसी वर्षगांठ से, इस विषय में विशेष अनुरोध प्राप्त होने पर उपलब्ध होगा।

सी) एलआईसी का न्यू टर्म एश्योरेन्स राइडर (UIN: 512B210V02)

यह राइडर केवल पॉलिसी के आरंभ में उपलब्ध है। इस राइडर के अंतर्गत हितलाभ संरक्षण पॉलिसी अवधि के दौरान उपलब्ध होगा। अगर इस राइडर को चुना जाता है, तो बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर 'टर्म राइडर मृत्यु पर बीमा राशि' के समान एक राशि का भुगतान किया जाएगा।

डी) एलआईसी का प्रीमियम धूट हितलाभ राइडर (UIN: 512B204V04)

किसी प्रभावी पॉलिसी के अंतर्गत, किसी भी समय पॉलिसी के प्रस्तावक के जीवन पर इस राइडर को पॉलिसी वर्षगांठ के समय, लेकिन मूल पॉलिसी की प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान लिया जा सकता है, बशर्ते मूल पॉलिसी तथा राइडर की प्रीमियम भरने की बकाया अवधि कम से कम पांच वर्ष हो। साथ ही पॉलिसी के अंतर्गत इस राइडर को लेने की वहां अनुमति होगी जहां इस राइडर को लेते समय बीमित व्यक्ति अवयस्क है। राइडर की अवधि (25 माइनस राइडर लेते समय अवयस्क बीमित व्यक्ति की उम्र) से अधिक नहीं होगी। अगर राइडर की अवधि + प्रस्तावक की उम्र 70 वर्ष से अधिक हो तो राइडर की अनुमति नहीं होगी।

अगर इस राइडर को लिया जाता है तो, प्रस्तावक की मृत्यु होने पर, मृत्यु की तिथि के बाद से राइडर अवधि की समाप्ति तक देय होने वाले प्रीमियमों को माफ कर दिया जाएगा। लेकिन किसी स्थिति में, अगर मूल पॉलिसी की प्रीमियम भुगतान अवधि, राइडर की अवधि से अधिक हो तो इस प्रीमियम माफी बेनिफिट राइडर अवधि की समाप्ति की तिथि से देय होने वाले मूल पॉलिसी के अंतर्गत अगले प्रीमियम्स का भुगतान बीमित व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। ऐसे प्रीमियमों का भुगतान न करने पर पॉलिसी चुकता पॉलिसी बन जाएगी।

सभी जीवन बीमा राइडर्स के अंतर्गत कुल प्रीमियम मूल प्लान के अंतर्गत प्रीमियमों के 30% से अधिक नहीं होगा।

एलआईसी के एक्सिडेन्ट बेनिफिट राइडर के संबंध में राइडर बीमा राशि मूल उत्पाद के अंतर्गत मूल बीमा राशि के तीन गुना से अधिक नहीं होगी। अन्य सभी राइडरों में से प्रत्येक के अंतर्गत उत्पन्न होने वाला कोई भी हितलाभ मूल उत्पाद के अंतर्गत मूल बीमा राशि से अधिक नहीं होगा।

उपरोक्त राइडर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए, राइडर ब्रोशर देखें या एलआईसी के नजदीक शाखा कार्यालय से संपर्क करें।

II. उत्तरजीविता हितलाभ(भों) को आस्थगित करने का विकल्प:

पॉलिसीधारक के पास उत्तरजीविता हितलाभ(भों) को आस्थगित करने और वृद्धिगत उत्तरजीविता हितलाभ (यानी आस्थगित मूल उत्तरजीविता हितलाभ, ब्याज सहित) किसी भी समय उसकी नियत तिथि पर या उसके बाद, लेकिन पॉलिसी की अवधि के दौरान लेने का विकल्प होगा। यदि पॉलिसीधारक द्वारा पॉलिसी की अवधि के दौरान वृद्धिगत उत्तरजीविता हितलाभ नहीं लिया जाता है, तो वह पॉलिसी की समाप्ति के समय मृत्यु या परिपक्वता या अभ्यर्पण के रूप में देय हितलाभ के साथ देय होगा। इस विकल्प का उपयोग चालू और चुकता, दोनों तरह की पॉलिसी के अंतर्गत किया जा सकता है।

1 मई से 30 अप्रैल तक की 12 महीने की अवधि के दौरान उपयोग किए गए आस्थगन विकल्प के लिए, प्रत्येक आस्थगित उत्तरजीविता हितलाभ पर देय वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर 5 वर्षीय जी–सेक प्रति वर्ष प्रतिफल प्रतिवर्ष अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि में से 150 आधार अंक घटाकर उसके बराबर होगी। जहां, 5 वर्षीय जी–सेक प्रतिफल पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम कारोबारी दिन के बराबर होगा। यह दर उस उत्तरजीविता हितलाभ के आस्थगन की पूरी अवधि के लिए तय होगी।

इस विकल्प का उपयोग उत्तरजीविता हितलाभों में से किसी एक या दोनों के लिए अलग–अलग किया जा सकता है और इसकी लिखित सूचना उत्तरजीविता हितलाभ की देय तिथि से कम से कम छह महीने पहले निगम के सेवा प्रदाता शाखा कार्यालय को दी जानी चाहिए। ऐसा न करने पर उत्तरजीविता हितलाभों का भुगतान पॉलिसी की शर्तों के अनुसार उनकी नियत तिथि पर किया जाएगा।

III. निपटान विकल्प (परिपक्वता लाभ के लिए) :

परिपक्वता लाभ के प्रति निपटान विकल्प किसी प्रभावी और साथ ही साथ प्रदत्त पॉलिसी के अंतर्गत एकमुश्त राशि लेने के बजाय चुनी गई 5 या 10 या 15 वर्ष की अवधि में किस्तों में परिपक्वता लाभ प्राप्त करने के लिए एक विकल्प है। इस विकल्प का उपयोग जीवन बीमित व्यक्ति की अवयस्कता के दौरान पॉलिसीधारक द्वारा या 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के जीवन बीमित व्यक्ति द्वारा पॉलिसी के अंतर्गत देय पूर्ण या आंशिक परिपक्वता लाभों के लिए किया जा सकता है। पॉलिसीधारक/जीवन बीमित व्यक्ति द्वारा चुनी गई राशि (यानी आस्थगित उत्तरजीविता हितलाभ, यदि कोई हो के भुगतान सहित शुद्ध दावा राशि) या तो निश्चित मूल्य में, या फिर कुल देय दावा प्राप्तियों के एक प्रतिशत के रूप में हो सकती है।

इन किस्तों का भुगतान चयन अनुसार वार्षिक या छमाही या तिमाही या मासिक अंतरालों पर अग्रिम में होगा, जो निम्नानुसार भुगतान की विभिन्न विधियों के लिए न्यूनतम किस्त राशि के अधीन है:

किस्त भुगतान का प्रकार	न्यूनतम किस्त राशि
मासिक	रु. 5,000/-
तिमाही	रु. 15,000/-
छमाही	रु. 25,000/-
वार्षिक	रु. 50,000/-

यदि शुद्ध दावा राशि पॉलिसीधारक/जीवन बीमित व्यक्ति द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार न्यूनतम किस्त राशि उपलब्ध करवाने हेतु आवश्यक राशि से कम होती है, तो दावा प्राप्तियों का भुगतान केवल एकमुश्त राशि के रूप में ही किया जाएगा.

1 मई से 30 अप्रैल तक की 12 माह की अवधि के दौरान शुरू होने वाले सभी किस्त भुगतान विकल्पों के लिए, प्रत्येक किस्त की राशि की गणना के लिए उपयोग की जाने वाली दर वार्षिक प्रभावी दर होगी जो कि 10 वर्ष अर्द्धवार्षिक जी-सेक यील्ड ऋण 2% से कम नहीं होगी; जहाँ 10 वर्ष जी-सेक यील्ड पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम व्यापारिक दिवस के अनुसार होगी। तदनुसार, 1 मई, 2024 से 30 अप्रैल, 2025 तक शुरू होने वाली 12 माह की अवधि के लिए, किस्त राशि की गणना हेतु लागू ब्याज दर 5.07% प्रभावी होगी।

परिपक्वता हितलाभ के प्रति निपटान विकल्प का उपयोग करने के लिए, बीमित व्यक्ति को परिपक्वता की नियत तिथि से कम से कम 3 माह पहले किस्तों में शुद्ध दावा राशि के भुगतान हेतु इस विकल्प का उपयोग करना होगा।

प्रथम भुगतान परिपक्वता की तिथि पर किया जाएगा और उसके बाद पॉलिसीधारक द्वारा चयनित किस्त भुगतान की विधि के आधार पर

परिपक्वता की तिथि से प्रत्येक माह या तीन माह या छह माह या वार्षिक आधार पर, जैसा भी मामला हो, किया जाएगा।

परिपक्वता हितलाभ के विरुद्ध निपटान विकल्प के अंतर्गत किस्त भुगतान प्रारंभ होने के बाद:

- अगर कोई बीमित व्यक्ति, जिसने परिपक्वता हितलाभ के प्रति निपटान विकल्प का उपयोग किया है, इस विकल्प को वापस करना चाहता है और बकाया किस्तों को रूपांतरित करना चाहता है, तो बीमित व्यक्ति से लिखित अनुरोध मिलने पर ऐसा करने की अनुमति होगी। ऐसे मामले में, निम्नांकित में से जो भी अधिक होगी, उस राशि का एकमुश्त भुगतान किया जाएगा और पॉलिसी समाप्त हो जाएगी।

- सभी भविष्य की बकाया किस्तों का रियायती मूल्य; या
- (वह मूल राशि जिसके लिए निपटान विकल्प का उपयोग किया गया था) में से (पहले से भुगतान की जा चुकी कुल किस्तों की राशि) घटाकर;

- वह लागू ब्याज दर, जिसका उपयोग भविष्य की किस्त भुगतानों की छूट हेतु किया जाएगा, वार्षिक प्रभावी दर होगी जो कि 10 वर्ष अर्द्धवार्षिक जी–सेक यील्ड से अधिक नहीं होगी; जहाँ 10 वर्ष अर्द्धवार्षिक जी–सेक यील्ड उस पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम व्यापारिक दिवस के अनुसार होगी, जिसके दौरान निपटान विकल्प प्रारंभ हुआ था। तदनुसार, 1 मई, 2024 से 30 अप्रैल, 2025 तक 12 महीनों की अवधि के दौरान शुरू किए गए सभी निपटान विकल्पों के संबंध में, भविष्य की किस्तों में छूट के लिए उपयोग की जाने वाली अधिकतम लागू ब्याज दर 7.07% प्रतिवर्ष प्रभावी होगी।
- परिपक्वता की तिथि के बाद, बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने की स्थिति में, जिसने निपटान विकल्प का उपयोग किया था, बीमित व्यक्ति द्वारा उपयोग किए गए विकल्प के अनुसार नामांकित व्यक्ति को बकाया किस्तों का भुगतान जारी रहेगा और नामांकित व्यक्ति को इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी।

IV. मृत्यु हितलाभ किस्तों में प्राप्त करने का विकल्प :

यह किसी प्रभावी और साथ ही साथ चुकता पॉलिसी के अंतर्गत एकमुश्त राशि लेने के चुनी गई 5 या 10 या 15 वर्ष की अवधि में किस्तों में मृत्यु हितलाभ प्राप्त करने के लिए एक विकल्प है। इस विकल्प का उपयोग जीवन बीमित व्यक्ति की अवयस्कता के दौरान पॉलिसीधारक द्वारा या 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के जीवन बीमित व्यक्ति द्वारा अपने जीवनकाल के दौरान; पॉलिसी के अंतर्गत देय पूर्ण या आंशिक मृत्यु हितलाभों के लिए किया जा सकता है। पॉलिसीधारक/जीवन बीमित व्यक्ति द्वारा चुनी गई राशि (अर्थात दावे की निवल राशि,जिसमें स्थगित विद्यमानता हितलाभों के लिए भुगतान, यदि कोई हो, भी शामिल हैं) या तो निश्चित मूल्य में, या फिर कुल देय दावा प्राप्तियों के एक प्रतिशत के रूप में हो सकती है।

इन किस्तों का भुगतान चयन अनुसार वार्षिक या छमाही या तिमाही या मासिक अंतरालों पर अग्रिम में होगा, जो निम्नानुसार भुगतान की विभिन्न विधियों के लिए न्यूनतम किस्त राशि के अधीन है :

किस्त भुगतान का प्रकार	न्यूनतम किस्त राशि
मासिक	रु. 5,000/–
तिमाही	रु. 15,000/–
छमाही	रु. 25,000/–
वार्षिक	रु. 50,000/–

यदि शुद्ध दावा राशि पॉलिसीधारक/जीवन बीमित व्यक्ति द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार न्यूनतम किस्त राशि उपलब्ध करवाने हेतु आवश्यक राशि से कम होती है, तो दावा प्राप्तियों का भुगतान केवल एकमुश्त राशि के रूप में ही किया जाएगा.

1 मई से 30 अप्रैल तक की 12 माह की अवधि के दौरान शुरू होने वाले सभी किस्त भुगतान विकल्पों के लिए, प्रत्येक किस्त की राशि की गणना के लिए उपयोग की जाने वाली दर वार्षिक प्रभावी दर होगी जो कि 10 वर्ष अर्द्धवार्षिक जी–सेक यील्ड ऋण 2% से कम नहीं होगी; जहाँ 10 वर्ष जी–सेक यील्ड पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम व्यापारिक दिवस के अनुसार होगी। तदनुसार, 1 मई, 2024 से 30 अप्रैल, 2025 तक शुरू होने वाली 12 माह की अवधि के लिए, किस्त राशि की गणना हेतु लागू ब्याज दर 5.07% प्रभावी होगी।

किस्तों में मृत्यु हितलाभ प्राप्त करने हेतु विकल्प का उपयोग करने के लिए, जीवन बीमित व्यक्ति की अवयस्कता के दौरान पॉलिसीधारक द्वारा या वयस्क होने पर जीवन बीमित व्यक्ति द्वारा इस विकल्प का उपयोग अपने जीवनकाल के दौरान पॉलिसी के प्रचलित रहते हुए, किस्त भुगतान की अवधि एवं शुद्ध दावा राशि, जिसके लिए उस विकल्प का उपयोग करना है, का उल्लेख करते हुए किया जा सकता है। तब मृत्यु दावा राशि का भुगतान पॉलिसीधारक/जीवन बीमित व्यक्ति द्वारा उपयोग किए गए विकल्प के अनुसार नामांकित व्यक्ति को किया जाएगा और नामांकित व्यक्ति को इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी।

6. प्रीमियमों का भुगतान :

प्रीमियम्स का भुगतान नियमित रूप से वार्षिक, अर्द्ध–वार्षिक, त्रैमासिक या मासिक अंतरालों में (केवल एनएसीएच या पॉलिसी अवधि के दौरान वेतन से कटौती के ज़रिए) किया जा सकता है।

7. अनुग्रह अवधि :

भुगतान न हुई प्रीमियम की पहली तिथि से मासिक प्रीमियम के भुगतान के लिए 15 दिन तथा वार्षिक या अर्द्ध–वार्षिक या त्रैमासिक प्रीमियम

के भुगतान के लिए 30 दिन की एक अनुग्रह अवधि होगी। इस अवधि के दौरान, इस पॉलिसी की शर्तों के अनुसार, यह पॉलिसी बिना किसी रुकावट के, जोखिम बीमा–सुरक्षा के साथ प्रभावी मानी जाएगी। यदि अनुग्रह अवधि के दिन पूरे होने से पहले प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता है, तो पॉलिसी कालातीत हो जाती है।

उपरोक्त अनुग्रह अवधि उन हितलाभ प्रीमियमों के लिए भी लागू होगी, जो मूल पॉलिसी की प्रीमियम के साथ देय हैं।

8. नमूने के लिए उदाहरणार्थ प्रीमियम :

मानक जीवन के लिए रु. 10 लाख की मूल बीमाकृत राशि के लिए नमूने की उदाहरणार्थ वार्षिक प्रीमियम निम्नानुसार है:

(राशि रु. में)

आयु नज़दीकी जन्म दिन)	पॉलिसी अवधि (प्रीमियम भुगतान अवधि)					
	14(10)	16(12)	18(14)	20(16)	24(20)	28(24)
20	1,08,780	91,483	78,890	70,168	55,125	44,982
30	1,09,270	92,071	79,576	71,050	56,301	46,501
40	1,11,622	94,717	82,516	74,382	60,172	51,009
50	1,18,580	1,01,969	90,111	–	–	–

उपरोक्त प्रिमियम कर कटौती योग्य है।

9. छूट :

विधि छूट:

वार्षिक विधि	– सारणीबद्ध प्रीमियम का 2%
अर्द्ध–वार्षिक विधि	– सारणीबद्ध प्रीमियम का 1%
त्रैमासिक, मासिक (एनएसीएच) एवं वेतन कटौती	– शून्य

उच्च मूल बीमाकृत राशि छूट (प्रीमियम पर):

मूल बीमाकृत राशि (बी.एस.ए.)	छूट (रु.)
रु. 10,00,000 से रु. 20,00,000 से कम	शून्य
रु. 20,00,000 से रु. 50,00,000 से कम	0.40 % बी.एस.ए.
रु. 50,00,000 और उससे अधिक	0.70 % बी.एस.ए.

10. पुनर्चलन :

यदि प्रीमियम का भुगतान अनुग्रह के दिनों के समापन के पहले नहीं किया जाता है तो इससे पॉलिसी कालातीत हो जाएगी। किसी कालातीत पॉलिसी को भुगतान न की गई पहली प्रीमियम की तिथि से 5 क्रमागत वर्षों की अवधि के भीतर और परिपक्वता की तिथि से पहले, जैसा भी मामला हो, पुनर्चलित करवाया जा सकता है। यह पुनर्चलन

समय–समय पर निगम द्वारा निर्धारित की जा सकने वाली दरों पर ब्याज (चक्रवृद्धि अर्द्ध–वार्षिक) के साथ प्रीमियम(मों) की समस्त बकाया राशियों के भुगतान पर एवं जीवन बीमित व्यक्ति और/या प्रस्तावक (यदि एलआईसी का प्रीमियम रियायत लाभ हितलाभ चुना गया हो) की निरंतर बीमा योग्यता की संतुष्टि होने पर प्रभावी होगा, और यह संतुष्टि उन जानकारियों, प्रलेखों और प्रतिवेदनों के आधार पर होगी, जो पहले से ही उपलब्ध हैं और इस संबंध में ऐसी किन्हीं अतिरिक्त जानकारियों के आधार पर होगी, जो पुनर्चलन के समय पर निगम की जोखिमांकन नीति के अनुसार आवश्यक हो सकती हैं और जिन्हें पॉलिसीधारक/जीवन बीमित व्यक्ति/प्रस्तावक द्वारा प्रदान किया जाता है।

निगम के पास मूल शर्तों पर स्वीकार करने, संशोधित शर्तों पर स्वीकार करने या स्थगित पॉलिसी के पुनर्चलन से इन्कार करने का अधिकार सुरक्षित है। स्थगित पॉलिसी का पुनर्चलन केवल उसे निगम द्वारा स्वीकृत करने एवं पॉलिसीधारक को विशेष रूप से इसके बारे में पुनर्चलन रसीद किए जाने के बाद प्रभावी होगा।

1 मई से आरंभ कर 30 अप्रैल तक चलने वाली प्रत्येक 12 माह की अवधि के लिए, इस उत्पाद के अंतर्गत पुनर्चलन के लिए लागू ब्याज दर पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम कारोबारी दिन के अनुसार अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि के साथ 10 वर्षीय जी–सेक प्रतिफल में 3% जोड़कर उसके योग, या निगम की असंबद्ध, प्रतिभागी निधि पर अर्जित प्रतिफल में 1% जोड़कर उसके योग, जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं होगी।
1 मई, 2024 से आरंभ कर 30 अप्रैल, 2025 तक चलने वाली 12 माह की अवधि के लिए, लागू ब्याज दर अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि के साथ 9.50% प्रति वर्ष होगी।

यदि पुनर्चलन अवधि प्रीमियम भुगतान अवधि के बाद आती है और पॉलिसी का पुनर्चलन उत्तरजीविता हितलाभ की नियत तिथि के बाद करवाया जाता है, तो प्रभावी पॉलिसी के अंतर्गत देय पूर्ण उत्तरजीविता हितलाभ एवं पॉलिसी को प्रदत्त मानकर पहले ही भुगतान किए जा चुके उत्तरजीविता लाभ के बीच के अंतर का भुगतान पॉलिसी धारक को कर दिया जाएगा।

राइडर(रों) का पुनर्चलन, अगर चुना गया हो, तो केवल मूल पॉलिसी के पुनर्चलन के साथ विचारणीया होगा तथा अलग से नहीं किया जाएगा।

11. चुकता पॉलिसी :

यदि एक वर्ष से कम प्रीमियम का भुगतान किया गया है, और किसी भी अनुवर्ती प्रीमियम का विधिवत भुगतान नहीं किया गया है, तो पॉलिसी के अंतर्गत सभी हितलाभ भुगतान न की गई पहली प्रीमियम की तिथि से अनुग्रह अवधि की समाप्ति के बाद स्थगित हो जाएँगे और कुछ भी देय नहीं होगा।

यदि कम से कम एक पूर्ण वर्ष के प्रीमियम का भुगतान किया गया है और किसी भी अनुवर्ती प्रीमियम का विधिवत भुगतान नहीं किया गया है, तो पॉलिसी पूर्णतः शून्य नहीं होगी, बल्कि पॉलिसी अवधि के अंत तक प्रदत्त पॉलिसी के रूप में कायम रहेगी।

चुकता पॉलिसी के अंतर्गत मृत्यु पर बीमा राशि "मृत्यु चुकता बीमा राशि" नामक ऐसी एक राशि तक कम हो जाएगी और वह मृत्यु पर बीमा राशि के बराबर होगी गुणित उस कुल अवधि के अनुपात, जिसके लिए प्रीमियमों का भुगतान पहले ही कर दिया गया है, उस अधिकतम अवधि के लिए, जिसके लिए प्रीमियमें मूल रूप से देय थीं। बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर, चुकता पॉलिसी के अंतर्गत देय मृत्यु हितलाभ, मृत्यु चुकता बीमा राशि के साथ-साथ भुगतान नहीं हुई पहली प्रीमियम की तिथि तक अर्जित गारंटीकृत अभिवृद्धियाँ तथा निष्ठा अभिवृद्धियाँ (लॉयल्टी एडीशन्स), यदि कोई हों, होंगी। यह मृत्यु हितलाभ, मृत्यु की तिथि तक भुगतान की गई कुल प्रीमियम के 105% से कम नहीं होगा।

चुकता पॉलिसी के अंतर्गत परिपक्वता पर बीमित राशि को घटाकर "परिक्वता चुकता बीमित राशि" नामक राशि कर दी जाएगी और यह परिपक्वता पर बीमित राशि गुणित पहले से प्रदत्त प्रीमियम की कुल अवधि एवं वह अधिकतम अवधि, जिसके लिए प्रीमियम मूल रूप से देय थी, के अनुपात के बराबर होगी। पॉलिसी अवधि की समाप्ति पर, चुकता पॉलिसी के अंतर्गत देय परिपक्वता हितलाभ, परिपक्वता चुकता बीमा राशि होगी, साथ ही भुगतान नहीं हुई पहली प्रीमियम की तिथि तक अर्जित गारंटीकृत अभिवृद्धियाँ और निष्ठा अभिवृद्धियाँ (लॉयल्टी एडीशन्स), यदि कोई हों, शामिल होंगी।

चुकता पॉलिसी के अंतर्गत देय उत्तरजीविता हितलाभ (चालू पॉलिसी के अंतर्गत देय उत्तरजीविता हितलाभ)* (वह कुल अवधि जिसके लिए प्रीमियम का पहले ही भुगतान किया जा चुका है/वह अधिकतम अवधि जिसके लिए प्रीमियम मूल रूप से देय थी) के गुणनफल के बराबर होगा और यह पॉलिसी अवधि के दौरान प्रत्येक निर्दिष्ट अवधि तक बीमित व्यक्ति के जीवित रहने पर देय होगा।

हालाँकि, यदि उत्तरजीविता हितलाभ(भों) को स्थगित करने का विकल्प चुना गया है और ऐसे उत्तरजीविता हितलाभ(भों) का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है जो देय था/थे, तो ऊपर अनुच्छेद 5.II में निर्दिष्टानुसार यह बढ़ा हुआ/इन बढ़े हुए उत्तरजीविता हितलाभ(भों) का मृत्यु या परिपक्वता या अभ्यर्पण के रूप में पॉलिसी की समाप्ति पर भुगतान किया जाएगा।

चुकता पॉलिसी के अंतर्गत, निष्ठा अभिवृद्धि (लॉयल्टी एडीशन्स), यदि कोई हो, उन पूर्ण पॉलिसी वर्षों के लिए, जिनके लिए पॉलिसी चालू थी, बशर्ते कि प्रीमियम का भुगतान कम से कम 5 पूर्ण वर्षों के लिए किया गया हो और 5 पॉलिसी वर्ष पूरे होने के बाद देय होगी। यह निष्ठा अभिवृद्धि भुगतान नहीं हुई पहली प्रीमियम की तिथि पर पूर्ण पॉलिसी वर्षों के अनुरूप होगी।

पॉलिसी कालातीत अवस्था में होने पर, राइडर कोई चुकता मूल्य नहीं प्राप्त करेगा/करेंगे और राइडर हितलाभ लागू नहीं होगा/होंगे।

12. अभ्यर्पण :

पॉलिसीधारक द्वारा पॉलिसी का पहला वर्ष पूरा होने के बाद अभ्यर्पण किया जा सकता है, बशर्ते एक पूर्ण वर्ष की प्रीमियम का भुगतान किया गया हो। हालांकि, पॉलिसी कम से कम दो पूरे वर्षों की प्रीमियम का भुगतान करने पर गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य प्राप्त करेगी और पहले पॉलिसी वर्ष के पूरा होने के बाद विशेष अभ्यर्पण मूल्य प्राप्त करेगी, बशर्ते एक पूर्ण वर्ष की प्रीमियम का भुगतान किया गया हो। चालू या चुकता पॉलिसी के अभ्यर्पण पर, निगम गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य और विशेष अभ्यर्पण मूल्य में से जो भी अधिक हो, उसके बराबर अभ्यर्पण मूल्य का भुगतान करेगा।

पॉलिसी अवधि के दौरान गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य भुगतान की गई कुल प्रीमियमों (किसी भी अतिरिक्त प्रीमियम और राइडर(रों) के लिए प्रीमियम, यदि इसे चुना गया हो और कर, यदि स्पष्ट रूप से लिया गया हो, को छोड़कर) के बराबर गुणित भुगतान की गई कुल प्रीमियमों के लिए लागू गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य कारक, पहले से देय और भुगतान योग्य किसी भी उत्तरजीविता लाभ को घटाकर, यदि कोई हो, होगा। जिसका प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त ये गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य कारक पॉलिसी अवधि और उस पॉलिसी वर्ष पर निर्भर होंगे, जिसमें पॉलिसी अभ्यर्पित की गई है और वे निम्नानुसार हैं:

कुल भुगतान किए गए प्रीमियम पर लागू GSV कारक						
	पॉलिसी अवधि--->					
पॉलिसी वर्ष	14	16	18	20	24	28
1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%
3	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%
4	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
5	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
6	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
7	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
8	55.00%	53.75%	53.00%	52.50%	51.88%	51.50%
9	60.00%	57.50%	56.00%	55.00%	53.75%	53.00%
10	65.00%	61.25%	59.00%	57.50%	55.63%	54.50%
11	70.00%	65.00%	62.00%	60.00%	57.50%	56.00%
12	75.00%	68.75%	65.00%	62.50%	59.38%	57.50%
13	90.00%	72.50%	68.00%	65.00%	61.25%	59.00%
14	90.00%	76.25%	71.00%	67.50%	63.13%	60.50%
15		90.00%	74.00%	70.00%	65.00%	62.00%
16		90.00%	77.00%	72.50%	66.88%	63.50%

17			90.00%	75.00%	68.75%	65.00%
18			90.00%	77.50%	70.63%	66.50%
19				90.00%	72.50%	68.00%
20				90.00%	74.38%	69.50%
21					76.25%	71.00%
22					78.13%	72.50%
23					90.00%	74.00%
24					90.00%	75.50%
25						77.00%
26						78.50%
27						90.00%
28						90.00%

इसके अलावा, उपार्जित गारंटीड अभिवृद्धियों का अभ्यर्पण मूल्य भी देय होगा, जो उपार्जित गारंटीड अभिवृद्धियों के लिए लागू गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य गुणक से गुणा की गई उपार्जित गारंटीड अभिवृद्धियों के बराबर होगा।

प्रतिशत के रूप में व्यक्त उपार्जित गारंटीड अभिवृद्धियों पर लागू गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य गुणक पॉलिसी अवधि और पॉलिसी वर्ष पर आधारित होगा जिसमें पॉलिसी का अभ्यर्पण किया जाता है और नीचे निर्दिष्टानुसार होगा:

उपार्जित गारंटीड अभिवृद्धि पर लागू GSV कारक						
	पॉलिसी अवधि---					
पॉलिसी वर्ष	14	16	18	20	24	28
1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2	8.85%	8.58%	8.03%	7.22%	6.42%	5.13%
3	17.85%	17.58%	17.03%	16.22%	15.42%	14.13%
4	18.16%	17.66%	17.58%	16.58%	15.55%	14.94%
5	18.60%	17.85%	17.58%	17.03%	15.72%	15.13%
6	19.18%	18.16%	17.66%	17.58%	15.93%	15.28%
7	19.93%	18.60%	17.85%	17.58%	16.22%	15.42%
8	20.85%	19.18%	18.16%	17.66%	16.58%	15.55%
9	21.99%	19.93%	18.60%	17.85%	17.03%	15.72%
10	23.38%	20.85%	19.18%	18.16%	17.58%	15.93%
11	25.05%	21.99%	19.93%	18.60%	17.58%	16.22%
12	27.06%	23.38%	20.85%	19.18%	17.66%	16.58%
13	30.00%	25.05%	21.99%	19.93%	17.85%	17.03%
14	35.00%	27.06%	23.38%	20.85%	18.16%	17.58%
15		30.00%	25.05%	21.99%	18.60%	17.58%
16		35.00%	27.06%	23.38%	19.18%	17.66%
17			30.00%	25.05%	19.93%	17.85%
18			35.00%	27.06%	20.85%	18.16%
19				30.00%	21.99%	18.60%

20				35.00%	23.38%	19.18%
21					25.05%	19.93%
22					27.06%	20.85%
23					30.00%	21.99%
24					35.00%	23.38%
25						25.05%
26						27.06%
27						30.00%
28						35.00%

विशेष अभ्यर्पण मूल्य की आईआरडीएआई के जीवन बीमा उत्पादों पर प्रधान परिपत्र देखें: आईआरडीएआई/एसीटीएल/एमएसटीसीआई/एमआईएससी/89/6/2024 दिनांकित 12 जून, 2024 और इस संबंध में आईआरडीएआई द्वारा जारी किसी भी अनुवर्ती परिपत्रों के अनुरूप वार्षिक रूप से समीक्षा की जाएगी।

देय अभ्यर्पण मूल्य के अतिरिक्त, यदि उत्तरजीविता हितलाभ(भों) को स्थगित करने का विकल्प चुना गया है और ऐसे उत्तरजीविता हितलाभ(भों) का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है, जो देय था/थे, तो ऊपर अनुच्छेद 5.II में निर्दिष्टानुसार यह बढ़ा हुआ/ये बढ़े हुए उत्तरजीविता हितलाभ भी देय होगा/होंगे।

राइडर (यदि कोई हो) पर कोई अभ्यर्पण मूल्य उपलब्ध नहीं होगा।

अभ्यर्पण मूल्य के भुगतान के बाद, पॉलिसी समाप्त हो जाएगी और कोई और हितलाभ देय नहीं होगा।

13. पॉलिसी ऋण :

निम्नलिखित के अधीन, पॉलिसी अवधि के दौरान अभ्यर्पण मूल्य के भीतर ऋण उपलब्ध होगा:

i. पहला पॉलिसी वर्ष पूरा होने के बाद पॉलिसी के अंतर्गत ऋण का लाभ प्राप्त किया जा सकता है, बशर्ते कि एक पूर्ण वर्ष की प्रीमियम का भुगतान किया गया हो।

ii. पॉलिसी के अंतर्गत, अभ्यर्पण मूल्य के प्रतिशत के रूप में, अधिकतम ऋण निम्नानुसार होगा:

पॉलिसी की स्थिति	दो पूर्ण वर्ष की प्रीमियम के भुगतान से पहले	दो पूर्ण वर्ष की प्रीमियम के भुगतान के बाद
चालू पॉलिसियों के अंतर्गत	50%	75%
चुकता पॉलिसियों के अंतर्गत	40%	65%

iii. इस पॉलिसी के अंतर्गत 1 मई से आरंभ कर 30 अप्रैल तक चलने वाली प्रत्येक 12 माह की अवधि के लिए प्राप्त किए जाने वाले ऋण के लिए पूर्ण ऋण अवधि के लिए लागू ऋण की ब्याज दर पिछले वित्तीय

वर्ष के अंतिम कारोबारी दिन तक अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि के साथ 10 वर्षीय जी–सेक प्रतिफल में 3% जोड़कर उसके योग, या निगम की असंबद्ध, प्रतिभागी निधि पर अर्जित प्रतिफल में 1% जोड़कर उसके योग, जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं होगी। 1 मई, 2024 से आरंभ कर 30 अप्रैल, 2025 तक चलने वाली 12 माह की अवधि के दौरान स्वीकृत ऋण के लिए लागू ब्याज दर ऋण की पूरी अवधि के लिए अर्ध–वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 9.5% प्रति वर्ष होगी। पॉलिसी ऋण के लिए ब्याज दर निर्धारण का आधार परिवर्तनाधीन है।

iv. पॉलिसी अवधि के दौरान, देय तिथियों पर ब्याज भुगतान में चूक होने की स्थिति में और ब्याज सहित बकाया ऋण की राशि अभ्यर्पण मूल्य से अधिक हो जाने पर, निगम ऐसी पॉलिसियों का पूर्वसमापन करने का अधिकारी होगा। पूर्वसमापन किए जाने पर ऐसी पॉलिसियाँ अभ्यर्पण मूल्य और ब्याज के साथ ब्याज ऋण की बकाया राशि के अंतर, यदि कोई हो, के भुगतान की अधिकारी होंगी।

v. पॉलिसी से बाहर निकलते समय दावे की राशि से किसी बकाया ऋण की ब्याज सहित वसूली की जाएगी।

14. कुछ घटनाओं में समपहरण :

यदि पाया जाता है कि प्रस्ताव, व्यक्तिगत विवरण, घोषणा और संबंधित दस्तावेजों में कोई असत्य या गलत कथन है या कोई महत्वपूर्ण जानकारी दबाई गई है, तो, और ऐसी प्रत्येक स्थिति में पॉलिसी शून्य हो जाएगी और इसके आधार पर किसी भी हितलाभ के सभी दावे समय–समय पर यथा संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के प्रावधानों के अधीन होंगे।

15. पॉलिसी की समाप्ति :

निम्नलिखित में से कोई भी घटना सबसे पहले घटित होने पर पॉलिसी तुरंत और स्वचलित रूप से समाप्त हो जाएगी:

ए) जिस तिथि को एकमुश्त मृत्यु हितलाभ/मृत्यु हितलाभ की अंतिम किस्त का भुगतान किया जाता है; या

बी) जिस तिथि को पॉलिसी के अंतर्गत अभ्यर्पण हितलाभों का निपटान किया जाता है; या

सी) यदि निपटान विकल्प का प्रयोग नहीं या जाता है, तो परिपक्वता की तिथि पर; या

डी) निपटान विकल्प के अंतर्गत अंतिम किस्तों के भुगतान पर; या

ई) अनुच्छेद 13 में निर्दिष्टानुसार ऋण के ब्याज के भुगतान में चूक होने की स्थिति में; या

एफ) पुनर्चलन अवधि की समाप्ति पर, यदि चुकता पॉलिसी का दर्जा प्राप्त नहीं पॉलिसी को पुनर्चलन की अवधि के भीतर पुनर्चलित नहीं किया गया है;

जी) निशुल्क अवलोकन राशि के भुगतान पर; या

एच) उपरोक्त अनुच्छेद 14 में निर्दिष्टानुसार जब्ती की स्थिति में।

16. कर :

भारत सरकार या किसी अन्य संवैधानिक भारतीय कर प्राधिकरण द्वारा ऐसी बीमा योजनाओं पर आरोपित वैधानिक कर, यदि कोई हो, कर कानूनों के अनुसार होंगे और कर की दर समय-समय पर लागू अनुसार होगी।

इस पॉलिसी के अंतर्गत देय प्रीमियम(मों) पर प्रचलित दरों के अनुसार लागू करों की राशि पॉलिसीधारक द्वारा देय होगी, जिसे पॉलिसीधारक द्वारा देय प्रीमियम(मों) के अलावा अलग से संग्रहित किया जाएगा। भुगतान की गई कर की राशि पर इस योजना के अंतर्गत देय लाभों की गणना के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

आयकर लाभों/भुगतान की गई प्रीमियम(मों) पर निहितार्थों एवं इस योजना के अंतर्गत देय लाभों के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए कृपया अपने कर सलाहकार से परामर्श करें।

17. निशुल्क अवलोकन अवधि :

यदि पॉलिसीधारक पॉलिसी के "नियमों व शर्तों" से संतुष्ट नहीं है, तो पॉलिसी दस्तावेज़ की इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक विधि से प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर पॉलिसी को आपत्तियों का कारण बताते हुए निगम को वापस किया जा सकता है। इसकी प्राप्ति पर निगम राइडर को रद्द कर देगा और कवर की अवधि के लिए आनुपातिक जोखिम प्रीमियम (इस राइडर के लिए) में कटौती करने के बाद राइडर के संबंध में जमा प्रीमियम की राशि वापस कर देगा, राइडर को शामिल करने के कारण चिकित्सा परीक्षा (विशेष रिपोर्ट, यदि कोई हो) पर किए गए खर्च और स्टांप ड्यूटी शुल्क।

18. अपवर्जन

आत्महत्या:

i. यदि जीवन बीमित व्यक्ति (चाहे वह स्वस्थ हो या अस्वस्थ) जोखिम शुरू होने की तिथि से 12 माह के भीतर किसी भी समय आत्महत्या करता है, तो निगम इस पॉलिसी के अंतर्गत भुगतान किए गए प्रीमियमों के 80% को छोड़कर अन्य किसी भी दावे पर विचार नहीं करेगा, बशर्ते पॉलिसी प्रभावी हो।

ii. यदि जीवन बीमित व्यक्ति (चाहे वह स्वस्थ हो या फिर अस्वस्थ) पुनर्चलन की तिथि से 12 महीने के भीतर किसी भी समय आत्महत्या करता है, तो मृत्यु की तिथि तक भुगतान की गई कुल प्रीमियमों के 80% या मृत्यु की तिथि पर उपलब्ध अभ्यर्पण मूल्य में से जो भी अधिक होगा, देय होगा। निगम द्वारा इस पॉलिसी के अंतर्गत अन्य किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

यह अनुच्छेद प्रदत्त मूल्य आर्जत किए बिना कालातीत होने वाली पॉलिसी के लिए लागू नहीं होगा और ऐसी पॉलिसियों के अंतर्गत कुछ भी देय नहीं होगा।

टिप्पणी: उपरोक्त संदर्भित प्रीमियमों में कोई भी कर, अतिरिक्त राशि और टर्म एश्योरेन्स हितलाभ, यदि कोई हो, के अलावा कोई भी अन्य हितलाभ प्रीमियम(में) शामिल नहीं हैं।

19. हितलाभ उदाहरण:

वितरण चैनल:	ऑफ़लाइन
संभावित ग्राहक/पॉलिसीधारक का नाम:	
आयु:	
बीमित व्यक्ति का नाम:	
आयु:	**35**
पॉलिसी अवधि:	**18**
प्रीमियम भुगतान की अवधि:	**14**
किस्त प्रीमियम की राशि:	**80605.00**
(मूल योजना के लिए किस्त प्रीमियम)	
प्रीमियम भुगतान की विधी:	**वार्षिक**

प्रस्ताव संख्या:	
उत्पाद का नाम:	एलआईसी की बीमा श्री
टैग लाइन:	एक सहभागी, असंबद्ध, जीवन, व्यक्तिगत बचत योजना
विशिष्ट पहचान संख्या:	512N316V03
जीएसटी की दर (प्रथम वर्ष):	4.50%
जीएसटी की दर (द्वितीय वर्ष से):	2.25%
ध्यान रखें: जीएसटी की दर समय-समय पर लागू अनुसार होगी, वर्तमान में इसे छूट दी गई है।	

“यह हितलाभ संबंधी दृष्टांत किस प्रकार पढ़ा और समझा जाना चाहिए?

इस हितलाभ संबंधी दृष्टांत का उद्देश्य ब्याज की दो अनुमानित दरों, अर्थात 8% प्रति वर्ष और 4% प्रति वर्ष की दर से पॉलिसी के अंतर्गत देय प्रीमियमों और हितलाभों को वर्ष–वार दर्शाना है।

कुछ हितलाभ गारंटीकृत हैं और कुछ हितलाभ जीवन बीमा का व्यवसाय करने वाले आपके बीमाकर्ता के भविष्य के निष्पादन के आधार पर प्रतिफल के साथ परिवर्तनीय हैं। यदि आपकी पॉलिसी गारंटीकृत हितलाभ प्रदान करती है, तो इन्हें इस पृष्ठ पर दृष्टांत तालिका में स्पष्ट रूप से “गारंटीकृत” के रूप में अंकित किया जाएगा। यदि आपकी पॉलिसी परिवर्तनीय हितलाभ प्रदान करती है, तो इस पृष्ठ पर दृष्टांत में 8% प्रति वर्ष और 4% प्रति वर्ष के अनुमानित भविष्य के निवेश प्रतिफल की दो अलग–अलग दरें दर्शाइ जाएँगी। प्रतिफल की ये अनुमानित दरें गारंटीकृत नहीं हैं और आपको जो वापस मिल सकती हैं उसकी ऊपरी या निचली सीमा नहीं हैं, क्योंकि आपकी पॉलिसी का मूल्य भविष्य में निवेश के निष्पादन सहित कई कारकों पर निर्भर करेगा।”

पॉलिसी संबंधी विवरण			
पॉलिसी विकल्प		मूल बीमा राशि रु.	100000
बोनस का प्रकार	निष्ठा अभिवृद्धि के माध्यम से प्रतिभागिता	मृत्यु पर बीमा राशि (पॉलिसी की शुरुआत में) रु.	1250000

प्रीमियम विवरण			
	मूल प्लान	राइडर	कुल किस्त प्रीमियम
जीएसटी के बिना किस्त प्रीमियम	80605.00		80605.00
पहले वर्ष की जीएसटी के साथ किस्त प्रीमियम	84232.00		84232.00
दूसरे वर्ष से जीएसटी के साथ किस्त प्रीमियम	82418.61		82418.61

(राशि रु. में)

पॉलिसी वर्ष (वर्ष का समापन)	वार्षिक[2] प्रीमियम (संचयी)	गारंटीड अभिवृद्धियाँ					4% प्रति वर्ष की दर बिना गारंटीकृत हितलाभ				8% प्रति वर्ष की दर बिना गारंटीकृत हितलाभ				कुल हितलाभ: परिपक्वता हितलाभ		कुल हितलाभ: मृत्यु हितलाभ[4]	
		गारंटीड अभिवृद्धियाँ	उत्तरजीविता हितलाभ	गारंटीड अभिवृद्धियाँ मूल्य	मृत्यु हितलाभ	परिपक्वता हितलाभ	निष्ठा अभिवृद्धि	कुल गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य[3]	विशेष अभ्यर्पण मूल्य[3]	“अभ्यर्पण लाभ”	निष्ठा अभिवृद्धि	कुल गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य[3]	विशेष अभ्यर्पण मूल्य[3]	“अभ्यर्पण लाभ”	“कुल परिपक्वता हितलाभ, 4% की दर से निष्ठा अभिवृद्धि सहित, यदि कोई हो (7+8)”	“कुल परिपक्वता हितलाभ, 8% की दर से निष्ठा अभिवृद्धि सहित, यदि कोई हो (7+12)”	“कुल मृत्यु लाभ, 4% की दर से निष्ठा अभिवृद्धि सहित, यदि कोई हो (6+8)”	“कुल मृत्यु लाभ, 8% की दर से निष्ठा अभिवृद्धि सहित, यदि कोई हो (6+12)”
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	80605	50000	0	0	1300000	0	0	0	40205	40205	0	0	40205	40205	0	0	1300000	1300000
2	161210	100000	0	56393	1350000	0	0	56393	86309	86309	0	56393	86309	86309	0	0	1350000	1350000
3	241815	150000	0	110180	1400000	0	0	110180	139015	139015	0	110180	139015	139015	0	0	1400000	1400000
4	322420	200000	0	196370	1450000	0	0	196370	199039	199039	0	196370	199039	199039	0	0	1450000	1450000
5	403025	250000	0	245463	1500000	0	0	245463	267173	267173	0	245463	267173	267173	0	0	1500000	1500000
6	483630	305000	0	295678	1555000	0	0	295678	346458	346458	20000	295678	366458	366458	0	0	1555000	1575000
7	564235	360000	0	346378	1610000	0	0	346378	436110	436110	30000	346378	466110	466110	0	0	1610000	1640000
8	644840	415000	0	417129	1665000	0	0	417129	537103	537103	45000	417129	582103	582103	0	0	1665000	1710000

9	725445	470000	0	493669	1720000	0	0	493669	650866
10	806050	525000	0	576265	1775000	0	0	576265	778803
11	886655	580000	0	665320	1830000	0	0	665320	922229
12	967260	635000	0	761117	1885000	0	0	761117	1083006
13	1047865	690000	0	864279	1940000	0	0	864279	1262860
14	1128470	745000	400000	975395	1995000	0	0	975395	1463784
15	1128470	745000	0	621690	1995000	0	0	621690	1142052
16	1128470	745000	400000	670519	1995000	0	0	670519	1225972
17	1128470	745000	0	439123	1995000	0	0	439123	883512
18	1128470	745000	0	476373	1995000	945000	0	476373	945000

टिप्पणियाँ:

इस दृष्टांत का मुख्य उद्देश्य यह है कि ग्राहक उत्पादों की विशेषताएँ और कुछ स्तर तक परिमाणीकरण के साथ विभिन्न परिस्थितियों में लाभ का प्रवाह पहचान पाएँ।

यह दृष्टांत एक मानक (चिकित्सीय, जीवन शैली और व्यवसायिक दृष्टि से) जीवन पर लागू होता है।

1. इसमें पॉलिसी आरंभ होने पर प्रस्तावक/पॉलिसीधारक द्वारा चुने गए सभी राइडर(रों) के संबंध में राइडर प्रीमियम शामिल हैं।

2. वार्षिक प्रीमियम में जोखिमांकन अतिरिक्त प्रीमियम, प्रीमियम पर आवृत्ति प्रभार, राइडरों के प्रति भुगतान की गई प्रीमियम, यदि कोई हो, और वस्तु और सेवा कर शामिल नहीं हैं। इस दृष्टांत में प्रयुक्त शब्दों की व्याख्या के लिए विक्रय साहित्य देखें।

3. अभ्यर्पण मूल्य गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य (जीएसवी) और विशेष अभ्यर्पण मूल्य (एसएसवी) में से उच्चतर होगा। विशेष अभ्यर्पण मूल्य की आईआरडीएआई के जीवन बीमा उत्पादों पर प्रधान परिपत्र देखें: आईआरडीएआई/एसीटीएल/एमएसटीसीआईआर/एमआईएससी/89/6/2024 दिनांकित 12 जून, 2024 और इस संबंध में आईआरडीएआई द्वारा जारी किन्हीं अनुवर्ती परिपत्रों के अनुरूप समीक्षा की जाएगी। अभ्यर्पण मूल्य की गणना के लिए, यह माना गया है कि वार्षिक मूल्यांकन परिणामों की शर्तों और नियमों के अनुसार रीति से इस उत्पाद के अंतर्गत निगम के अनुभव के आधार पर बोनस घोषित किए जाने पर निहित हो जाएँगे।

4. किसी भी स्थिति में पॉलिसी अवधि के दौरान कुल मृत्यु हितलाभ कुल भुगतान की गई प्रीमियम (जीएसटी, अतिरिक्त प्रीमियम और राइडर प्रीमियम, यदि कोई हो, को छोड़कर) के 105% से कम नहीं होगा।

- बीमांकिक जांच से उत्पन्न अधिशेष में से पॉलिसीधारकों को वास्तविक आवंटन, एलआईसी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत इस संबंध में प्रावधानों के अनुसार होगा।

650866	60000	493669	710866	710866	0	0	1720000	1780000
778803	80000	576265	858803	858803	0	0	1775000	1855000
922229	100000	665320	1022229	1022229	0	0	1830000	1930000
1083006	125000	761117	1208006	1208006	0	0	1885000	2010000
1262860	150000	864279	1412860	1412860	0	0	1940000	2090000
1463784	185000	975395	1648784	1648784	0	0	1995000	2180000
1142052	220000	621690	1362052	1362052	0	0	1995000	2215000
1225972	255000	670519	1480972	1480972	0	0	1995000	2250000
883512	290000	439123	1173512	1173512	0	0	1995000	2285000
945000	330000	476373	1275000	1275000	945000	1275000	1995000	2325000

20. शिकायत निवारण तंत्र :

निगम का:

ग्राहकों के शिकायतों के निवारण के लिए शाखा/मंडल/क्षेत्रीय/केंद्रीय कार्यालयों में निगम के शिकायत निवारण अधिकारी होते हैं। ग्राहक जीआरओ के नाम और संपर्क संबंधी विवरणों और शिकायतों से संबंधित अन्य जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट (https://licindia.in/web/guest/grievances) पर विज़िट कर सकते हैं।

ग्राहकों की शिकायतों के शीघ्र निवारण के लिए निगम ने अपने ग्राहक पोर्टल (वेबसाइट: http://www.licindia.in) के माध्यम से ग्राहक–अनुकूल, एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की है, जहां पर कोई भी पंजीकृत पॉलिसीधारक शिकायत/परिवाद का पंजीकरण करा सकता है और उसकी स्थिति को देख सकता है। किसी भी शिकायत के निवारण के लिए ग्राहक ई–मेल co_complaints@licindia.com पर भी संपर्क कर सकते हैं।

मृत्युगत दावों का अस्वीकृति के निर्णय से असंतुष्ट दावाकर्ताओं के पास, अपने मामलों के पुनरीक्षण के लिए क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा परिवाद निवारण समिति या केंद्रीय कार्यालय दावा परिवाद निवारण समिति के पास ले जाने का विकल्प है। उच्च न्यायालय/जिला न्यायालय का एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रत्येक दावा विवाद निवारण समिति का सदस्य होता है।

आईआरडीएआई का:

यदि ग्राहक हमारे उत्तर से संतुष्ट नहीं है या हमसे 15 दिनों के अंदर कोई उत्तर नहीं मिलता है तो ग्राहक, निम्नलिखित किसी भी माध्यम से संरक्षण और शिकायत निवारण कक्ष में जा सकता है:

i) टोल फ्री नंबर 155255/18004254732 (यानी आईआरडीएआई शिकायत कॉल सेंटर – (बीमा भरोसा शिकायत निवारण केंद्र) पर कॉल करें।

ii) complaints@irdai.gov.in पर ई–मेल करके

iii) इंटरनेट के माध्यम से https://bimabharosa.irdai.gov.in/पर शिकायत दर्ज करके

iv) कूरियर/पत्र द्वारा शिकायत भेजने के लिए पता: महाप्रबंधक, पॉलिसीधारकों की सुरक्षा और शिकायत निवारण विभाग, भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, सर्वे संख्या – 115/1, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा, गाची बावली, हैदराबाद 500032, तेलंगाना।

लोकपाल का:

दावे से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए, दावाकर्ता बीमा लोकपाल के पास भी जा सकते हैं जो ग्राहकों को कम लागत पर तीव्र मध्यस्थता प्रदान करते हैं।

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45:

समय–समय पर यथा संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के प्रावधान लागू होंगे। वर्तमान प्रावधान इस प्रकार है:

(1) पॉलिसी की तिथि, यानी पॉलिसी के जारी होने की तिथि या जोखिम के प्रारंभ होने की तिथि या पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि या पॉलिसी के राइडर की तिथि, जो भी बाद में हो, से 3 वर्ष समाप्त होने के पश्चात जीवन बीमा की किसी भी पॉलिसी पर किसी भी आधार पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जाएगा।

(2) जीवन बीमा की किसी पॉलिसी पर धोखाधड़ी के आधार पर पॉलिसी के जारी होने की तिथि या जोखिम के प्रारंभ होने की तिथि या पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि या पॉलिसी के हितलाभ की तिथि, जो भी बाद में हो, से 3 वर्ष समाप्त होने के भीतर किसी भी समय प्रश्न उठाया जा सकता है:

बशर्ते, बीमाकर्ता को बीमित व्यक्ति को या बीमित व्यक्ति के वैधानिक प्रतिनिधियों या नामितियों या समनुदेशितियों को ऐसे आधारों एवं तथ्यों की लिखित सूचना देनी होगी, जिन पर ऐसा निर्णय आधारित है।

स्पष्टीकरण I – इस उप–धारा के उद्देश्य से, अभिव्यक्ति "धोखाधड़ी" से आशय बीमित व्यक्ति या उसके अभिकर्ता द्वारा बीमाकर्ता को धोखा देने, या बीमाकर्ता को कोई जीवन बीमा पॉलिसी जारी करने हेतु उकसाने की मंशा से निम्नांकित में से कोई भी कृत्य किया जाता है:–

(ए) सुझाव, उस बारे में एक तथ्य के रूप में, जो सत्य नहीं है और जिसे बीमित व्यक्ति सत्य नहीं मानता है;

(बी) उस बीमित व्यक्ति द्वारा किसी तथ्य का सक्रिय रूप से छुपाया जाना, जिसे उस तथ्य का ज्ञान हो या उसमें विश्वास हो;

(सी) धोखा देने के लिए किया गया कोई अन्य कृत्य; एवं

(डी) ऐसा कोई कृत्य या चूक जो कानून द्वारा विशिष्ट रूप से धोखाधड़ी के रूप में घोषित हो।

स्पष्टीकरण II – बीमाकर्ता द्वारा जोखिम के आकलन को प्रभावित करने वाले तथ्यों के बारे में सिर्फ चुप रहना धोखाधड़ी नहीं है, जब तक कि मामले की परिस्थितियों के अनुसार, बीमित व्यक्ति या उसके अभिकर्ता का यह कर्तव्य है, बोलने से चुप रहना, या अन्यथा उसकी खामोशी, अपने आप में बोलने के बराबर न हो।

(3) उपधारा (2) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, कोई भी बीमाकर्ता किसी जीवन बीमा पॉलिसी को धोखाधड़ी के आधार पर अस्वीकृत नहीं कर सकता है, अगर बीमित व्यक्ति/लाभार्थी यह प्रमाणित कर सके कि उसके द्वारा की गई गलतबयानी उसकी अधिकतम जानकारी के अनुसार सही थी और उसने जानबूझकर तथ्यों को छिपाने की कोशिश नहीं की या कथित गलतबयानी या महत्त्वपूर्ण तथ्य को छिपाया जाना बीमाकर्ता की जानकारी में था:

बशर्ते धोखाधड़ी के मामले में इसे गलत साबित करने का दायित्व लाभार्थियों पर है अगर पॉलिसीधारक जीवित नहीं है।

स्पष्टीकरण – कोई व्यक्ति जो बीमा के अनुबंध का आग्रह और उसकी सौदेबाजी करता है, उसे अनुबंध के प्रयोजन के लिए बीमाकर्ता का अभिकर्ता माना जाएगा।

(4) जीवन बीमा की किसी पॉलिसी पर पॉलिसी के जारी करने की तिथि या जोखिम के आरंभ होने की तिथि या पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि या पॉलिसी के राइडर की तिथि, जो भी बाद में हो, से तीन वर्ष के भीतर किसी भी समय, इस आधार पर प्रश्न उठाया जा सकता है कि बीमित व्यक्ति के जीवनकाल से संबंधित किसी तथ्य को प्रस्ताव प्रपत्र में या किसी अन्य दस्तावेज में, जिसके आधार पर पॉलिसी जारी की गई थी या पुनर्चलित की गई थी या राइडर जारी किया गया था, छिपाया गया था या गलत दिखाया गया था:

बशर्ते बीमाकर्ता द्वारा बीमित व्यक्ति को या बीमित व्यक्ति के कानूनी प्रतिनिधि या नामांकित व्यक्तियों या समनुदेशितियों को लिखित में उन आधारों तथा तथ्यों के बारे में सूचित करना होगा, जिनके आधार पर जीवन बीमा की पॉलिसी को अस्वीकृत करने का यह निर्णय लिया गया है:

बशर्ते महत्त्वपूर्ण तथ्य की गलतबयानी या छिपाए जाने के आधार पर पॉलिसी को अस्वीकृत किए जाने तथा धोखाधड़ी की स्थिति न होने पर, अस्वीकृति की तिथि तक पॉलिसी पर जमा की गई सभी प्रीमियमों का भुगतान बीमित व्यक्ति या बीमित व्यक्ति के कानूनी प्रतिनिधि या नामितों या समनुदेशितियों को ऐसी अस्वीकृति की तिथि से नब्बे दिनों के भीतर कर दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण – इस उप-धारा के प्रयोजन हेतु, किसी तथ्य की गलतबयानी या छिपाए जाने को तब तक महत्त्वपूर्ण नहीं माना जाएगा, जब तक कि उसका बीमाकर्ता द्वारा स्वीकार किए गए जोखिम पर कोई

प्रत्यक्ष प्रभाव न हो, यह प्रमाणित करने का दायित्व बीमाकर्ता का होगा कि अगर बीमाकर्ता को स्थापित तथ्य की जानकारी होती तो वह बीमित व्यक्ति को यह जीवन बीमा पॉलिसी जारी नहीं करता।

(5) इस धारा में निहित कुछ भी बीमाकर्ता को किसी भी समय उम्र का प्रमाण मांगने से नहीं रोकती है, अगर वह इसके लिए अधिकृत है तथा किसी पॉलिसी पर केवल इसलिए प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है क्योंकि प्रस्ताव में गलत उल्लेख की गई बीमित व्यक्ति की उम्र को सबूत के आधार पर बाद में समायोजित किया गया था।

छूटों की निषिद्धता (बीमा अधिनियम, 1938 का धारा 41):

1. किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रलोभन के तौर पर किसी अन्य व्यक्ति को भारत में जीवन या संपत्ती से संबंधित किसी भी प्रकार के जोखिम के बारे में कोई बीमा लेने या उसका नवीनीकरण करवाने या उसे जारी रखने, देय कमीशन में से संपूर्ण या आंशिक रूप में कोई छूट देने या पॉलिसी पर दर्शाइ गई प्रीमियम में से कोई भी छूट देने की अनुमति नहीं होगी या अनुमति प्रस्तावित नहीं होगी और न ही कोई व्यक्ति तब तक किसी तरह की छूट स्वीकार करके कोई पॉलिसी नहीं लेगा या उसका नवीनीकरण नहीं करवाएगा या उसे जारी नहीं रखेगा, जब तक कि ऐसी छूट बीमाकर्ता की तालिका या प्रकाशित विवरणिका के अनुसार मान्य न हो।

2. धारा के प्रावधानों का अनुपालन करने से चूक करने वाला व्यक्ति जुर्माने से दण्डित होगा, जो दस लाख रुपए तक हो सकता है।

एलआईसी पर लागू होने वाले, बीमा अधिनियम, 1938 की विभिन्न धाराएं, समय-समय पर यथा संशोधित रूप से लागू होगी।

यह उत्पाद विवरणिका इस योजना की केवल प्रमुख विशेषताएँ ही बताती है। अधिक विस्तृत जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.licindia.in पर पॉलिसी दस्तावेज देखें या हमारे निकटतम शाखा कार्यालय पर संपर्क करें।

कपटपूर्ण फोन कॉल और नकली/धोखाधड़ीपूर्ण प्रस्तावों से सावधान रहें।

आईआरडीएआई बीमा पॉलिसियाँ बेचने, बोनस घोषित करने या प्रीमियमों का निवेश करने जैसी गतिविधियों में संलग्न नहीं है। ऐसे फोन कॉल प्राप्त करने वाले लोगों से अनुरोध है कि वे इसकी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाएँ।

भारतीय जीवन बीमा निगम

"भारतीय जीवन बीमा निगम" की स्थापना 1 सितंबर 1956 को जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के अंतर्गत जीवन बीमा का विस्तार मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों तक करने के उद्देश्य के साथ की गई थी, जिससे कि यह देश के हर बीमा योग्य व्यक्ति तक पहुंच सके और उसे बीमा योग्य घटनाओं के लिए पर्याप्त आर्थिक संरक्षण प्रदान कर सके। भारतीय बीमा उद्योग के उदारीकरण के बाद भी एलआईसी निरतंर एक महत्त्वपूर्ण बीमा कंपनी की भूमिका निभा रहा है तथा अपने पुराने कीर्तिमानों को पीछे छोड़ता हुआ तेजी से आगे बढ़ रहा है। अपने अस्तित्व के छः दशकों को पार करते हुए एलआईसी अपने प्रचालन के विभिन्न क्षेत्रों में और अधिक मजबूती के साथ निरंतर अग्रसर है।

पंजीकृत कार्यालय:

भारतीय जीवन बीमा निगम,

केन्द्रीय कार्यालय,

योगक्षेम, जीवन बीमा मार्ग, मुंबई – 400021.

वेबसाइट: www.licindia.in

पंजीकरण संख्या: 512